मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 4882–5 जी0 एस0–1–77 20612 दिनांक 27 जुलाई, 1977।

विषय :—स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन ।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4363–5जी0 एस0 1–77/दिनांक 9 जुलाई, 1977 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं, जिन द्वारा सभी स्थानान्तरण प्रस्तावों को आगामी आदेशों तक लम्बित रखने को कहा गया था तथा कहूं कि अब सरकार ने इस बारे विचार करके निर्णय किया गया है कि सभी नियुक्ति पाधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण 15 अगस्त, 1977 तक करने के लिए समक्ष होंगे । इस बात पर जोर दिया जाता है कि स्थान्तरण बहुत कम और नितान्त आवश्यक परिस्थितियों में और जन हित में ही किए जाएं । उन्हें यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 अगस्त, 1977 के पश्चात कोई स्थानान्तरण न किए जाएं तथा केवल विशेष परिस्थितियों में ही मुख्य मन्त्री महोदय की अनुमति के बाद स्थानान्तरण किए जाएं ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।